छत्तीसगढ़ी भाषा को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के पाठ्यक्रम में समावेश किए जाने बाबत्।

"राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना की सिफारिशों के अनुरूप राज्य की शालाओं में विभिन्न भाषाओं के पठन–पाठन की व्यवस्था है। स्थानीय भाषाओं के माध्यम से शालाओं में पठन–पाठन और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2010 से स्थानीय भाषाओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने तथा स्थानीय भाषाओं के माध्यम से पठन–पाठन को और रूचिकर व जनोपयोगी बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

वर्ष 2010 में प्रदेश की शासकीय प्राथमिक शालाओं में तीसरी से पाँचवीं कक्षाओं के हिन्दी विषय के पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय भाषाओं के पाँच–पाँच पाठों का समावेश किया गया है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में छत्तीसगढ़ी भाषा तथा अन्य क्षेत्रों में सरगुजिया, कुडुख, हल्बी, कांकेर गोंडी एवं दन्तेवाड़ा गोंडी के पाठों का समावेश कर पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2011 से इसे पाठ्यपुस्तकों में समेकित रूप में सम्मिलित किया गया है।

सत्र 2013 में कक्षा पहली एवं दूसरी की प्रचलित समेकित पाठ्यपुस्तकों की भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना के आलोक में समीक्षा की गई है तथा समेकित पाठ्यपुस्तकों में पाठों के साथ विभिन्न भाषाओं के शब्दावली छत्तीसगढ़ी, सरगुजिहा, हल्बी, कुडुख, गोड़ी जैसे शब्द सम्मिलित किए गए हैं, ताकि बच्चे स्थानीय भाषा के माध्यम से बेहतर अध्ययन कर सकें।

राज्य में मैदानी क्षेत्रों में जहाँ छत्तीसगढ़ी स्थानीय भाषा है वहीं राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अन्य सभी भाषाएँ यथा सरगुजिया, कुडुख, हल्बी, कांकेर गोंडी एवं दन्तेवाड़ा गोंडी आदि प्रचलन में है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना के अनुरूप प्रदेश में वर्तमान में हिन्दी तथा अंग्रेजी दो भाषाओं को पाठ्यक्रम में विषय के रूप में शामिल किया गया है।"

संचालक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
छ.ग., रायपुर